>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Representation of the People (Amendment and Validation) Bill, 2013 as passed by Rajya Sabha.

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up Item No. 19. Hon. Minister.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KAPIL SIBAL): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

...(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, this Bill needs to be discussed. We cannot pass it without discussion. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: At the stage of third reading, you can speak. I will allow you to speak at the stage of third reading.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed.

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I am really disheartened about the manner in which actually this Bill is getting passed. No doubt there is unanimity to get this Bill passed but the manner in which we are

rushing this Bill will automatically invite criticism to ourselves. This is something which has been interpreted in the Apex court. Two days back, the Apex court has agreed to review the petition. But still I would say this amendment which has been moved in the Rajya Sabha and which is before us after some wise men in the Upper House have deliberated on that, and it would have been better if, cutting across the Party line, we would have discussed this aspect because one issue is still there. I am not a lawyer by profession. One issue is still there. On the face of it, if somebody is convicted, he is in prison, if somebody is apprehended, he is in a police station, and though his name is in the voters' list, our law says that he cannot come out to vote. Taking that clause from the Representation of the People Act, the court interpreted that a person, who is unable to vote, how can he be a candidate? All of us, at least the persons who have little knowledge of law can say: "My name is still there in the voters' list. If my name is there in the voters' list, how can someone debar me to be a candidate?" A glaring example was Shri George Fernandes in 1977. He was in prison and he fought election being in jail. Nobody raised that issue. But peculiarly it was from the Patna High Court, where this decision came and it had been confirmed by the apex court. After this, in an All-Party meeting, a decision was taken; opinions were taken. And, the Government thought that 'we will move a Review Petition and also we will bring in this type of Amendment. But the question here is this. Yes with the provision that is there in this Amendment Bill, those persons who want to contest can contest. But the greater issue is still there; and I would like to be educated by our hon. Minister of Law and Justice. When two under-trial prisoners were allowed by the Apex Court, sent by the Indian Government to Italy to go and cast their votes, how can we deny our citizens from casting their votes? Is that being answered in this amended Bill? No.

Yet, we are rushing this Bill without batting an eyelid. That is my concern. This will be raised outside. I would not be surprised if some conscious persons will also raise it in the court of law. This is my concern. That is why, we are not here only to protect our interest; we are not here only to protect the political class; we are here to protect every citizen of this country and his rights. Adult Franchise gives us the right.

With these words, I would say, Sir, that the Government needs to consider all this. Thank you.....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you may tell your apprehension. The hon. Minister will reply to that.

SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): Sir, thank you very much for giving me the opportunity

सभापति जी, सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था, जब पटना उच्च न्यायालय से निर्णय आया था। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। इस सदन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ दर्जनों बार, 50 बार या 100 बार भी ऐसा हुआ होगा, जब भी उसने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया होगा। मैं चाहता था कि इस बिल पर चर्चा हो और हमें बोलने का अवसर मिले। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक नया क्षेत्र जुड़ा है, उसका नाम बेरौल है, वह सब डिवीजन है। आगामी 11 तारीख को उस सब डिवीजन के सामने मैंने एक धरना रखा है। मैं प्रत्येक न्यायालय का आदर करता हूं, जिस तरह से हिन्दुस्तान में कानून मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति करता है। आगामी 11 तारीख को मैंने धरना रखा है, क्योंकि बेरौल के एसडीओ से तीन बार मेरी बात हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय पटना के ही एक आदेश की अवमानना हुई है। हमारे यहां पर महेश्वर हजारी जी बैठे हैं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ वाले क्षेत्र समस्तीपुर से सांसद हैं। वहां सुपौल बाजार होते हुए एक सड़क जाती है। उस पर पटना के माननीय उच्च न्यायालय ने 2011 में एक आदेश दिया था। वहां कुछ दबंग लोगों ने सुपौल बाजार से जो सड़क जाती है, वह संकरी हो गई है, क्योंकि वहां पर सरकारी सड़क पर जो बननी थी, उस पर इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। वह सड़क इनके क्षेत्र में जाती है, जिसे कुशेश्वर स्थान कहते हैं। बरसात न भी हो तो वह क्षेत्र पानी में डूबा रहता है। उसे लेकर कई बार मैंने बात की, दो साल से उनसे बार-बार बात कर रहा हूं कि सम्भवतः वे मान जाएं और उस अतिक्रमण को हटा लें, लेकिन नहीं किया गया है। लोग आक्रोश में हैं।

MR. CHAIRMAN: Kindly tell your point briefly.

SHRI KIRTI AZAD : Yes, Sir, I am just saying it very briefly. It is a very important matter. I think everybody has gone through it and you to have. Many times, you had also come into the Well for a lot of matters that pertain to your Constituency. So, I am giving an example exactly of what is happening in my Constituency; and what everybody is going though in his Constituency.

So, Sir, I may kindly be given a patient hearing. I shall be very grateful to you.

मैं यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान) यह बिल पर ही डिसकशन हो रहा है। अगर इस तरीके से बिल पास करेंगे तो लोग हंसेंगे। हम सब पर मीडिया हंसेगा। इसलिए यह जानना जरूरी है। मैं उस धरने की बात बताना चाहता हूं। आगामी 11 तारीख को हो सकता है कि मुझे डिटेन कर लें और सुबह से शाम तक जेल में कर दें। अगर सुबह से शाम तक मुझे जेल में बंद कर देंगे, तो इस कानून के अंतर्गत जो अभी आया है, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। अगर मेरा किसी पड़ौसी के साथ झगड़ा हो जाए तो धारा 7 11 के अंतर्गत मुझे जेल में बंद कर दिया जाए तो सम्भवतः मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं।

मैं उस प्रकार से उतना बड़ा कानून नहीं जानता हूं जिस प्रकार से आदरणीय सुषमा जी जो एक बहुत बड़ी वकील हैं या कपिल साहब, विजय बहादुर जी या कल्याण बनर्जी साहब जानते हैं। लेकिन मैं वहां प्रदर्शन करूंगा और इसलिए करूंगा कि लोग वहां प्रताड़ित हैं। वहां एक रैफरल हॉस्पिटल बना हुआ है जो 30 बैड का अस्पताल है। जिस रैफरल अस्पताल का इस्तेमाल लोगों के इलाज के लिए किया जाना चाहिए, उस अस्पताल में वहां के एसडीओ और डीसी ने घर बना रखा है। जो वहां पर इंस्पैक्शन बंगला बैरोल में है उसमें डीएसपी रहता है जहां पर मैं रहना चाहता हूं अपने लोगों से मिलना चाहता हूं। मैं कोई पूंजीपति नहीं हूं कि अपने क्षेत्र के हर ब्लॉक में घर बना सकूं। लेकिन अगर मैं उस इंस्पैक्शन बंगले में जाकर रहना चाहता हूं तो नहीं रह सकता और वह मेरे क्षेत्र की जनता से मुझे दूर करता है।

इसलिए मैं उस पर प्रदर्शन करूंगा। मैं क्रिकेट खेलते हुए भी एक आक्रमक बल्लेबाज और खिलाड़ी था और अपने राजनैतिक जीवन में भी मैं एक आक्रमक व्यक्ति हूं लेकिन मैं वहां शांतिपूर्ण धरने पर बैठूंगा और यदि वहां पर लोग आक्रोशित होकर डंडा उठाएंगे, वहां पर किसी भी सरकारी स्थान का नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह केस मुझ पर होगा। एक व्यक्तिगत अपराध में और जन-आंदोलन में बहुत फर्क होता है। आजादी के पहले से आंदोलन होते रहे हैं। मैं अपने को महात्मा गांधी या शहीद भगत सिंह नहीं मानता लेकिन आप इतिहास उठाकर देखें तो 8 अगस्त 1942 में "भारत छोड़ो" आंदोलन जब महात्मा गांधी ने किया था तो उस समय कहा था कि "करो या मरो" । अगर उस चीज को देखा जाए और आज के इस आदेश से तुलना की जाए तो सबसे बड़े क्रीमनल, माफ कीजिए मैं कहना नहीं चाहता हूं अंग्रेजों के समय में महात्मा गांधी जी ही थे क्योंकि उन्हें जेल जाना पड़ा था। जैसे लोग तेलंगाना, पूर्वांचल या दूसरी जगह की बात कर रहे हैं उसी तरह से मेरे यहां मिथिला राज्य को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। मैं सीता मां की पवित्र जन्म भूमि मिथिला से आता हूं और मिथिला राज्य बने, उसके लिए मैं आंदोलन करूंगा। मुझे एक बार नहीं अनेकों बार जेल जाना पड़ सकता है और मैं जेल जाऊंगा। जनता के लिए आंदोलन करना और कोई अपराधी हो, कोई हत्यारा हो, कोई फिरौती मास्टर हो, कोई अपहरणकर्ता हो, उसके साथ मेरे इस जन-आंदोलन को नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता था कि आपराधिक मामले और जन-आंदोलन ये अलग चीजें हैं और उन्हें एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। आपने मुझे ज्यादा कहने नहीं दिया लेकिन मैं चाहूंगा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। आपने कम अवसर दिया लेकिन जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I am not against passing this Bill but at the same time when we discuss a Bill in the Parliament and pass the Bill, it is our responsibility to convince the people also. Otherwise, we would be sending a wrong message that it is for some other interests. Now we have taken the decision that without any discussion we are going to pass each and every Bill. In the other Bill, really I had wanted to seek some clarifications but you have not given me chance. But as the Parliament, it is our duty to discuss. If we are not fully convinced, how can we convince the people? There are a number of discussions that are going on. So, it is the duty of the Parliament to discuss. So, when I say that there is no objection in passing the Bill but at the same time sufficient time should be given for a detailed discussion.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I respect the speech that has been made by Mr. Bhartruhari Mahtab. I want to tell you one thing.

MR. CHAIRMAN: It is third reading stage. Therefore, please be very brief.

SHRI KALYAN BANERJEE : I am supporting this Bill. But I am saying it is not unknown to us that the Supreme Court passes inconsistent orders and judgements. That is only possible in our country. It is not that the Supreme Court is infallible. It is infallible. But there is no other Supreme Court. Therefore, the Supreme Court judgements and orders are final. There are orders and judgements which are inconsistent with that. But, the case which Mr. Mahtab has referred to, was an intelligence case. That was an order and that was not a judgement. But, the Patna High Court judgment, which has come, has to be rectified so that people can cast their votes as voters. I again appreciate the statement of Mr. Mahtab. But, as citizens of this country, let us come to this conclusion today that our Supreme Court is really famous for having there inconsistent views altogether from different Benches, different orders and different judgements. The judgement of Supreme Court is final and we have to accept it.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you, Chairman, Sir. Many of the judgements by the Supreme Court are more born out of anger towards politicians than out of legal sanctity. ...(*Interruptions*) A man, who cannot vote, is not a man who is not eligible to vote. That is a difference. A man, who is not a voter, cannot contest. But, a man, who could not vote, can contest. But, there are many other loopholes in the Representation of People Act. The Government has brought this amendment only for this purpose. I would say that the entire Representation of People Act should be studied thoroughly and more amendments should be brought in so that it is perfect and the Supreme Court's anger cannot be shown through this Representation of People Act.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, माननीय कपिल सिब्बल जी जो विधेयक ले कर आए हैं, यह बहुत ही गंभीर बिल है। इस बारे में आम सहमति बनी थी कि इस पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा और पास कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि सवाल उठा है, मैं अपने यहां का ताजा उदाहरण देना चाहता हूं। क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ था। उसमें जो केंडिडेट था, उस पर मुकदमा एससी, एसटी लगा कि उसे जेल भेजा गया। ... * वह आज की तारीख में ब्लॉक प्रमुख है। उसे जेल भेजा गया और वह वोट नहीं दे पाया। अगर वह रहता तो मेरे खयाल से निश्चित जीतता।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not take anybody's name. Names are not allowed to be taken.

श्री शैलेन्द्र कुमार : जनहित में लड़ने के लिए, जनता के हित में लड़ने के लिए धरना, प्रदर्शन देने पड़ते हैं। हम लोगों को निरूद्ध किया जाता है। सुबह से ले कर शाम को छोड़ दिया जाता है या दूसरे दिन या चौदह दिन की ज्यूडिशियली कस्टडी में भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में, ज्यूडिशियरी हमसे स्वयं नाराज है, तमाम पोलिटीशियनों से नाराज है। यह बिल कहीं बाधक न बने, इस पर विचार करना चाहिए।

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Sir, thank you very much. I know that everybody is in a hurry to pass this Bill. I just very humbly want to register my protest. We talked about the hon. Supreme Court. But, the most supreme in democracy are the people of this country. We are the people, who have given us this Constitution. While talking about the people, my only objection is that by passing this Bill, without getting an opportunity to discuss, we would be sending a wrong signal. I personally feel that we should reconsider it ourselves and we should discuss this Bill. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

Shri Dara Singh Chauhan.

...(*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, please do not be in a hurry. It is my right to speak. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Why do not you speak, Mr. Dara Singh Chauhan? I have already taken your name. Mr. Dara Singh Chauhan, when I am calling your name, you must speak.

Trivedi ji, you have already spoken. Please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have already given him time to speak.

â€¦(व्यवधान)

SHRI DINESH TRIVEDI : Sir, it is my right to speak. ...(*Interruptions*) You are not letting me speak. ...(*Interruptions*) Sir, I am walking out in protest. ...(*Interruptions*)

20.34 hrs

At this stage, Shri Dinesh Trivedi left the House.

...(*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, कुछ मामले को ले कर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिले थे और खास कर जो पालिटीशियन लोग हैं, जिन्हें राजनीतिक द्वेष वश किसी न किसी मुकदमे में झूठा फंसा कर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश की जाती है। जिसे लेकर आल पार्टी मीटिंग में तय हुआ था कि सरकार की तरफ से जब संशोधन विधेयक आएगा, जिस पर सभी लोग संशोधन में साथ दे कर वापिस भेजेंगे, कानून का रूप देंगे। मैं खुद उसका गवाह हूं कि मेरे ऊपर खुद जब उत्तर प्रदेश में और मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी सरकार थी? मैं उस समय मीटिंग कर रहा था। मेरे ऊपर गलत मुकदमा लगाकर, विभिन्न राजनीतिक मामलों में करके मेरे ऊपर वह गलत मुकदमा लगाया गया। अगर इस एक्ट से काम होगा तो हमारे जैसे लोग राजनीति से वंचित हो जाएंगे, चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगे। ऐसे तमाम लोग हैं जो पोलिटिकल काम करते हैं। राजनीतिक आंदोलन, धरने में साथ देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ साजिश की शंका है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am very happy that distinguished Members of this House have participated in this debate. I just want to say two or three things. यह जो विधेयक है और यह अमेंडमेंट बिल इसीलिए लाया गया क्योंकि अगर यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का सही है तो चुनाव के एक दिन पहले इस हाउस के लीडरान को अगर एसएचओ अपने हिरासत में कर ले तो अगले दिन वह अपना नामांकन-पत्र नहीं दे पाएगा। यह इसका नतीजा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से whoever is in lawful custody cannot vote and if he cannot vote, he cannot be an elector. इसलिए इसमें ज्यादा बहस की जरुरत तो है नहीं क्योंकि यह अपने आप में ही बिल्कुल गलत है। The Supreme Court is right because it is final; it is not right because it is right. That is the reality. It is right because it is final. We are all mortals; we can make mistakes. हम भी सदन में गलती कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकता है और अगर उनकी कोई गलती हुई है तो हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि उसको हम ठीक करें। आज हम ठीक करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, मैं इनसे सहमत हूं। क्या ये जज संविधान निर्माताओं से बड़े हैं?...(व्यवधान) क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर और पंडित जवाहर लाल नेहरू से ये जज बड़े हैं?...(व्यवधान) क्या आप ये मानते हैं?...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : नेता जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कल जल्दी से जल्दी ज्युडिशियल अपॉइन्टमेंट बिल लाइए और उसको पास कीजिए।...(व्यवधान) यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। हमें बाहर ये संदेश भेजना चाहिए कि इस सदन में हम इकट्ठे हैं।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : पार्लियामेंट के मैम्बर भी हैं, वकील भी हैं।...(व्यवधान) आप ढ़ीलीपीली बात क्यों करते हैं?...(व्यवधान) उनको अधिकार नहीं है।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे अचम्भा हुआ जब मैंने यह जजमेंट पढ़ा।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : सीधा कहिए कि नहीं रोका जाएगा। यह कानून लेकर आइए।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : वह तो कर दिया। इसी कानून के अन्तर्गत हमने कर दिया और एक क्लेरिफिकेशन दे दी। पूरी तरह से हुआ है। यह क्लेरिफिकेशन भी दे दी कि अगर कोई वोटर अगर वोट नहीं कर सकता क्योंकि हिरासत में हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह इलैक्टर नहीं है। यह हमने सही कर दिया। वह हिरासत में सही तरीके से है या गलत तरीके से है, वह तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन यह जज तय नहीं करेंगे कि वह सही या गलत हिरासत में है। इसीलिए मैं यह विधेयक लाया हूं। ...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.पू.): अगर उसको सजा हो गई और सजा होकर तो वह डीबार हो गया। उसका इलैक्शन रद्द और वह जीत गया।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं। उसके लिए भी वह चर्चा करने की जरुरत नहीं है क्योंकि सजा की बात तो बाद की है। इस जजमेंट ने यह तय कर दिया कि अगर वह हिरासत में है और उसको वोट करने का हक नहीं है तो वह इलैक्टर भी नहीं हो सकता। यह अपने आप में साफ गलत है। इसलिए इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरुरत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको पास किया जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.